आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.6(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2018 जयपुर, दिनांकः 8 मई, 2026

समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– प्रधान महालेखाकार की लेखा पुस्तकों से वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्यय के अंक मिलान (Reconciliation) बाबत।

महोदय,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर ने अ.शा.पत्र क्रमांक रिपोर्ट (एएडी)/ 2(1175)/2026–27/19 दिनांक 06 मई, 2026 के माध्यम से अवगत कराया है कि कतिपय बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2025–26 के लेखों के अंकमिलान का कार्य निर्धारित समय सारणी अनुसार पूर्ण नहीं किया जा रहा है।

प्रधान महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लेखों के आय–व्यय के आंकड़ों के अंकमिलान हेतु **अन्तिम तिथि (Cut-off date) 20 मई, 2026 नियत की गई है।** उक्त तिथि के पश्चात् लेखों में सुधार सम्भव नहीं होगा। अंकमिलान कार्य पूर्ण नहीं करने के परिणामस्वरूप लेखों में यदि कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा जन लेखा समिति के समक्ष जवाबदेह होंगे।

विभाग के पत्र दिनांक 28.02.2024 द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार अंकमिलान का कार्य पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय–समय पर नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध भी किया जाता रहा है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा https://ors.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाये गये आय–व्यय के आंकड़ों एवं वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.05.2022 द्वारा ऑनलाईन अंकमिलान (Online Reconcilation) की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **18 मई, 2026 तक** अंकमिलान का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीया,

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www. finance.rajasthan.gov.inE-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त(कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को वित्त विभागकी वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

(हरीश लड्ढा)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बजट)

Room No. 5130, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227799 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail - dirbudget@rajasthan.gov.in